[Prof. Madhu Dandavate]

Resolution or Motion which can be a consensus motion on which there will be no difference of opinion at all.

Therefore, I commend to this House that this Motion be adopted unanimously.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I want half a minute only. I had made it clear. I want the Minister to tell us whether the multi-millionaires, the salt and coal racketeers, in Bihar—in reply to a Calling Attention the Minister had categorically said that actions are being taken—had been arrested. If so, how many officers were arrested and whether those officers and businessmen who were arrested were released or not. Nothing more than this.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That information has to be collected.

MR. CHAIRMAN: Now, what is going to be the position?

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, I move that the Motion be passed.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Motion moved by Prof. Dandavate to the vote of the House.

The Question is: ....

PROF. MADHU DANDAVATE: Before you put the Motion to vote, I would like to know from the hon. Minister one thing. Is there anything in the motion which is not acceptable to anyone? If not, let him accept it.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: You have already made your suggestion and I have requested you to withdraw the motion because we are considering your recommendation.

MR. CHAIRMAN: I will now put the motion to the vote of the House. The question is:

"That this House expresses its deep concern at the steep rise in prices of essential commodities and recommends that urgent steps be taken to bring down the prices."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Mr. Jyotirmoy Bosu, would like also to press your motion.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Yes, I press my motion.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Jyotirmoy Bosu to the vote of the House. The question is:

"That this House notes with deep concern and anguish the unprecedented price rise and widespread blackmarketing of many items and recommends that a net work of public distribution system be created within three months from date."

The motion was negatived.

17.13 hrs.

MOTION RE: INCREASE IN INCIDENCE OF RAPE ON WOMEN

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up the next motion by Shrimati Geeta Mukherjee.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Mr. Chairman, Sir, with heavy heart but with some hope I rise to move my motion which is as follows:

"That this House expresses its grave concern at the alarming incidence of rape on women, particularly by anti-social elements engaged by the vested interests and on occasions even by the police in different parts of the country and urges upon the Government to take effective steps to prevent their recurrence."

Sir, I earnestly appeal to all the hon'ble Members of the House to support it. I believe they will do so and act as the conscience of the nation is crying a halt to this heinous crime against the women, against the entire society and against the humanity. The peculiarity of rape as a crime is that here social stigma is attached more to the victim than to the perpetrator of the crime and consequently very few cases actually come to light. Thanks to

organised action of various women organisations this question has now come to the forefront and has been placed on the agenda for the entire society to act against this heinous crime. The agitation for reviewing the judgment in the now well-known Mathura case has drawn the attention of the entire nation. But the enormity of this crime is not felt by all.

Rape is a weapon against all women but it is also a particular weapon against the poorest of the poor among women, the agricultural labourers, many of whom belong to the so-called lower castes, against industrial and other workers when they go into action, against women of lower castes in caste pogroms, against the women of the weaker side in communal riots. It is used by all anti-social elements but particularly used by anti-socials hired by vested interests and unfortunately by a section of the so-called guardians of law and order, that is, the Police, either as accomplices of the above mentioned elements or directly to satisfy their lecherous lust and to demonstrate their 'power'.

Sir, though this year this question has attracted public notice, but, the women had been trying to raise it for quite some time.

The National Federation of Indian Women to which I belong, submitted a memorandum under the leadership of its Chairman Mrs. Aruna Asaf Ali, to the Rashtrapati on the 12th July, 1978 in which they gave 16 instances of individual, group or mass rape in different parts of the country. They gave instances from Madhya Pradesh, Bihar, U.P., Rajasthan, Tamil Nadu, Punjab, Himachal Pradesh and Andhra Pradesh, which covers a big part of our country. I naturally have no time to quote all but citing a few of these will be enough to raise the hair of all members of the House.

Sir, in early December, 1977. two harijan sisters—Ramrati and Kumad of Pionia village, Bhojpur district, Bihar, were raped by men engaged by the landlords. The former's hand was chopped off when she resisted. On the same day the entire Harijan-tola of Jagdishpur village, Rohtas district, Bihar was burnt to ashes by the landlords. Their men raped a young bride in front of her father-in-law. He was forced to keep his eyes open. A women agriculturist worker, Jasia Devi, with just year old baby of Korama village, Monghyr district, Bihar, was seriously beaten up when she demanded her due wage. Her house was burnt. She threatened to take her case to the village panchayat. She was locked up in a dark room and was raped by several men daily.

Sir, on the 1st September, 1977, a massive attack was launched by landlords and their goondas on harijans and other rural poor in Kesanakurru village in East Godavary district of Andhra Pradesh. The attackers molested women and kidnapped a girl whose raped dead body was found in a field after ten days. In Nelte village, Dehra Tehsil in Kangra district of Himachal Pradesh, on 11th October, 1977, Tota Ram, a Harijan and his wife were attacked, while working in the fields. They were sought to be evicted. He was beaten unconscious and pushed in a crevice, from where he was rescued by the villagers. His wife was raped and she was thrown in a drain.

Sir, in most cases, these village women could get no protection from the custodians of law and order.

Sir, working women in Bailadilla ore mines of Madhya Pradesh were subjected to atrocious rape by the very members of the police force on the 1st April, 1978. Workers' demonstration protesting against retrenchment was lathi-charged and tear-gassed and women in the demonstration were molested. Later at night women were carried to wilderness and raped. Names of four women were given who were raped and

(Smt. Geeta Mukherjee)

then shot dead. Statements were recorded by public leaders of several women who were raped—one of them by seven poliemen.

Cases of rape by policemen are the most wide-spread in respect of such women or family members of such men who have been arrested with some or the other charges, real or fictitious.

Mr. Chairman, rape of Shakila of Guntur district of Andhra Pradesh is a sorded case in point. Both Shakila and her husband were ultimately admitted to the Osmania hospital Hyderabad, sent there by the police as 'unidentified persons', where Shakila died. It was in October, 1979.

Then, Sir, Henry was in police lock up from 22nd September charged with theft. The representatives of four womens' organisations of Andhra Pradesh when they met an extremely dilapidated Henry in Osmania hospital on the 14th October said: "With tears in his eyes he narrated how his wife was raped in a room just behind his cell. He heard her shrieks helplessly locked up in a room. She came running towards his cell shouting 'save me' but the police dragged her and raped not once but on several nights. Police threatened him with dire consequences if he leaked anything out. One constable brought sleeping pills and he was asked to swallow them and it seems by force the pills were administered to him. The police was threatening that he would have to languish in the jail on the charge of committing suicide throughout life if he leaked it out to anybody.

Sir, if the cases cited by me are not recent that does not mean this type of things have decreased in the recent months. I need not mention about Narainpur, Parashbigha, Dohia, Pipra and Hansi as those are too fresh to necessitate reminder.

Apart from the types of cases of rape illustrated above by me there are of course some other kinds which need some mention, for example, rape for wrecking vengeance in long-standing feuds, rape out of superstitions and of course rape to satisfy lecherous lust. But all have one common feature and that is the deep-rooted idea that women are interior human beings and it is a God-given privilege of man to rape a woman. In reality, it is essentially a question of changing the present attitude of the entire society towards women and to establish women's equality not in words but in action.

How do the Government or arms of the Governments react to rape cases? Often with callousness. If a lot of row can be kicked up sometimes, they wake up and order enquiries of one kind or the other which again are often lost in oblivion. Most of the time it is even worse.

It is shocking that a Madhya Pradesh Minister declared in Vidhan Sabha self-righteously that only 137 cases of rape of Harijan and Adivasi girls were reported in the first six months of the new Government formed in 1977. It is still more shocking to hear a Minister in Bihar stating in the State Assembly that only 54 cases of rape of Harijan girls were reported in 1977 while the figure was 57 in 1976. This is also an eloquent testimony of what happened under different rules.

It is atrocious that the Inspector General of Police of Madhya Pradesh issued a circular to the police force not to indulge in raping when the State Assembly would be in session, perhaps implying that they could go ahead merrily in the off session periods.

If the judgement of a bench of Supreme Court in the Mathura case could rightly produce such an angry reaction among various sections of women cutting across party affiliations, one can imagine how great is the necessity of a total reorientation of social attitudes by the Government and by the entire society.

In my motion, I have mentioned the necessity of effective steps by the Government to prevent the recurrence

of rapes at least to lessen their recurrence. These effective steps are necessary in various fields. One of these fields is legal. Though I am not a lawyer, even then from the point of view of common sense, I would like to make a few suggestions. For some time the women's organisations, women lawyers etc. are raising several points for amending the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code and the Evidence Act. One of the points mentioned in this connection is to shift the onus of disproving the rape charges on the accused. Under the present system, the onus of proof etc. in regard to this crime is also as it obtains in the general criminal law. The accused is presumed to be innocent and onus to prove him or her guilty is on the prosecution. But, Sir, under our system of law in certain offences, for example under the Prevention of Corruption Act, on certain circumstances the presumption of guilt may be drawn and then the onus shifts on to the accused to prove his innocence. Is not rape an equally heinous crime as such economic offences, if not more? Why should appropriate amendments not be made to say that in cases of rape the victim will not be required to prove the guilt, but the accused will be required to prove his innocence.

Another point is definition of rape. As it stands now, it would be rape if it is committed against the will or consent. Firstly, why has she to prove that she had no consent? Does any plundered man prove that he had no consent in parting with his valuables when the robber robbed him? Secondly, the present law says that it is no 'consent' only when it is obtained by putting the victim in fear of death or hurt. How about other fears? Fear of putting the dear ones to death; fear of black-mailing in the society; fear of economic destitution? Are all these fears any the less dangerous? Moreover, in cases of rape, the victim is in the greatest of disadvantages due not only to social conditions, but also to natural physical conditions. Here, asking her to prove absence of consent is, in reality, adding insult to injury.

Yet another demand is to hold the trials in camera. so that the identity of the victim is not disclosed. In our society, with stigma attached to rape victims, it is absolutely essential.

In my opinion, the strictest view must be taken of this crime when it is perpetrated by the police, since it is these 'protectors' who are, in most cases, the worst offenders, both directly and indirectly. In cases of any police-man being the accused, the investigating power must not be left with those very same forces. Some other agencies should be stipulated; otherwise, it will be well nigh impossible to convict any accused.

The necessity of strictly enforcing Section 160(1) of the Cr. P.C. to see to it that women are not called to attend a police investigation at any place other than their homes, is great. I am glad to see that the Government has referred the question of amending the laws connected with rape, to the Law Commission. But, Sir, with all respect to such Commissions, I would like to express my apprehension that unless some women—be they lawyers or social workers—are drafted into these commissions, it will be difficult for men-oriented commissions to see it from women's point of view. I hope, Sir, it will be done. Moreover, women's organizations should be consulted and the programme should be time-bound. Let the Government state before the House, by which time they would bring such amendments.

Sir, everybody knows that good orders are not enough. Otherwise, despite the welcome orders sent recently by the Government not to take women in for police investigation after sun-set, we would not have seen the news appearing in the newspapers only yesterday, of raping of a Harijan girl by a policeman right inside the Kotwali police station compound in the capital itself.

Therefore, the most important point is to create social alertness—to create

[Smt. Geeta Mukherjee]

a movement to stop this crime. For that purpose, constituting a national committee with representatives of women's and other organizations to go into all aspects of the question, and to act as a vigilance committee, should be considered.

Another point in this connection is the question of social rehabilitation of the victims of rape. Unless this is taken up, cases will not really come to light. I hope Government will take measures to help such women, and to help social organizations through the Social Welfare Department, to see to it that they can conduct their activities in regard to unearthing of the cases, defending the cases and rehabilitation of the victims, satisfactorily.

The necessity of utilizing the mass media for combating this evil is yet another great necessity. Nowadays, with the spread of radio in the villages, the Ministry of Information and Broadcasting can do a lot in this respect. They should do some home-work—if they are not doing it already—and report to the House as to what they propose to do about it.

With these words, Sir, I earnestly appeal to all Members of the House not only to support my motion, but also to act with determination to cry a halt to this heinous crime. I appeal to all parties that this is a question on which we should be able to act together. Let us proceed to do so; let us really be the champions of the people in the matter of this grave crime against women who are, if I may say so, the physically weaker, but really the better half of the humanity.

With these words, I move the Motion. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House expresses its grave concern at the alarming incidence of rape of women, particularly by anti-social elements engaged by the vested interests and on occasions even by the police in different parts of the country and urges upon the Government to take effective steps to prevent their recurrence."

MR. CHAIRMAN: Mr. Daga, do you want to move your amendment?

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Yes. I beg to move:

That in the motion,—

after "steps" insert—

"and bring forth necessary amendments to the law." (1).

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : श्रीमती मुखर्जी ने जो प्रस्ताव विचारार्थ हमारे सामने रखा है और जो महिलाओं पर होने वाले बलात्कारों के संबंध में है इस पर पहले भी इस सदन में चर्चा हो चुकी है और यह विषय इस सदन में पहले भी आ चुका है और उनको संरक्षता प्रदान करने की बात कही जा चुकी है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश और हमारे समाज में दिन प्रति दिन महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कारों की घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। अखबारों में हमें रोज एक न एक इस प्रकार की घटना पढने को मिल जाती है या सुनने को मिल जाती है। किस जाति या किस समाज की महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनायें घटती हैं, यह सवाल नहीं है। जो महिलाए अर्थोपार्जन करने के लिए अपने घर से बाहर जाती हैं, चाहे खेत में मजदूरी करने के लिए या कहीं सर्विस करने के लिए, अपने संसार की खातिर उनको रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तो उनके सामने यह बड़ी कठिन समस्या आ कर खड़ी हो जाती है। यह ऐसी समस्या है जिस पर वाद विवाद करते समय हम को राजनीति को अलग रख देना चाहिये। जब भी कोई सवाल आता है उसको हम लोग राजनीतिक सवाल बना देते हैं और उस हिसाब से उस पर चर्चा करते हैं, कांट छांट करते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के बारे मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यह जो सामाजिक प्रश्न या समस्या है कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, सवाल नहीं है, किसी पार्टी या किसी पक्ष का यह सवाल नहीं है और राजनीतिक पहलू से, राजनीतिक दृष्टि से इस हाउस में इस पर विचार नहीं होना चाहिये।

जो लोग बलात्कार के गुनाहगार हैं उन के वास्ते कानून में धारायें 375, 376 और 377 है । ये भारतीय दण्ड संहिता की धारायें हैं । इन धाराओं का संशोधन और पुर्नगठन होना चाहिये, एक तो मैं यह सुझाव आपको देना चाहती हूं ।

मैं कोई वकील नहीं हूं जो यह बता सकूं कि किस तरह से इनको बदला जा सकता है । लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, हम ने बहुत सी ऐसी समस्यायें देखी हैं, ऐसे हालात देखे हैं, ऐसी घटनाएं देखी हैं और जानने की कोशिश की है कि इनकी रोकथाम के लिए किस प्रकार का संशोधन इन धाराओं में होना चाहिये। इन धाराओं में जो कंसैंट, रिजिस्टैंट और प्रीवियस हिस्ट्री आफ दैट विमेन है और इन तीन प्वाइंट्स पर यह जो कानून खड़ा हुआ है और गुनाहगारों को सजा देने की कोशिश करता है, उससे कुछ गलतफहमी पैदा होती है और कोई लूज प्वाइंट है जिस के बारे में सोचा जाना चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि ये जो तीन सिद्धांत गुनाहगारों को सजा देने के बारे में इन धाराओं में बताए गए हैं इन तीनों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। एक विनती तो मैं आप सब से यह करना चाहती हूं ।

सारे देश में बलात्कारों की घटनाएं बढ़ रही हैं । नागपुर से ले कर दिल्ली तक सभी पक्षों के, समाज के सभी अंगों के सामाजिक कार्यकर्ता आन्दोलन छेड़े हुए, मूक मोर्चे निकाल रहे हैं और आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर रहे हैं । महाराष्ट्र में हमारी कांग्रेस आई की कुछ महिलाओं और अन्य दलों की सामाजिक महिला कार्यकर्ताओं द्वारा बम्बई और नागपुर में मोर्चा निकाला गया था और उन्होंने कुछ सुझाव आपके सामने, शासन के सामने रखे भी थे । उन में से एक सुझाव यह है कि हर एक जिला स्तर पर एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए महिलाओं का जिसमें जज से लेकर पुलिस तक महिलायें हों और जब भी ऐसे गुनाहगार थाने में या कोर्ट में लाये जाते हैं उनकी जांच करने के लिये लेडी डाक्टर, होनी चाहियें, उनको गिरफतार करने के लिये, उनकी जमानत लेने के लिये और न्याय देने के लिए लेडी जज होना जरूरी है । ऐसे ट्रायब्यूनल होने की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं कि जब बलात्कार हुई महिला पुलिस थाने में या अन्य जगह लायी जाती है या कोर्ट में लायी जाती है तो जज के सामने वह अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बोल नहीं सकती। इसलिए उनका जो साक्ष्य हो वह इनकमरा होना चाहिए, ऐसा सुझाव मैं यहां सब महिलाओं की तरफ से रखती हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता में धारा 160 है जिसके अनुसार महिलाओं को शाम का पूछताछ के लिये पुलिस थाने में ले जाने की मनाही है । लेकिन मथुरा केस में रात को ही साढ़े 10 बजे उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। तो मेरा निवेदन है कि कानून ऐसा होने के बावजूद भी जिसके मन में आये किसी भी बलात्कारिक महिला को पूछताछ के लिये पुलिस थाने में रात को रखना, बहुत बुरी बात है । इसलिये मथुरा जैसी लड़की पर पुलिस थाने में साढ़े दस बजे बलात्कार हुआ था ।

श्रीमती मुखर्जी ने यहां एक बात ऐसी रखी कि यह बलात्कार जिनके हाथ में कानून है, चाहे वह पुलिस हो, जज हों या कोई भी अधिकारी हो, अगर ऐसे लोग ऐसा अपराध करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये, इससे हम सब सहमत हैं । पुलिस थाना संरक्षण के लिये हैं, उनकी भलाई के लिये हैं, फिर भी जिस देश में पुलिस ही बलात्कारी लोगों को सहयोग देती है, इतना ही नहीं खुद ही महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, या जो महिला उनके हाथ में आती है उस पर बलात्कार करते हैं, ऐसे लोगों को सजा देने के लिये कानून में संशोधन होना चाहिए और किसी भी साधारण आदमी को ऐसे अपराध के लिए जितनी कड़ी से कड़ी सजा देंगे उससे भी ज्यादा कोई पुलिस अधिकारी जब बलात्कार करेगा तब उसको तो एक साधारण नागरिक से भी ज्यादा कड़ी सजा देनी

चाहिये। ऐसा संशोधन कानून में अवश्य करना चाहिये, यह मेरा सुझाव है ।

यह गुनाहगारी जो बढ़ रही है जो घटना पुलिस या जज के सामने आती है, संरक्षण के लिये कानून तो बनाया गया है, लेकिन उनको जो सजा मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है । कई केसेज में राजकीय या बड़े लोगों का संरक्षण आता है, भ्रष्टाचारी अधिकारी रहते हैं और इसलिये भी ऐसे केसेज में महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है । इस लिये कानून की पुनर्गठन करने और महिलाओं पर जो अन्याय, अत्याचार और बलात्कार दिन पर दिन बढ रहे हैं उसके लिये कुछ सोच विचार या कानून में संशोधन करने तथा कडी सजा देने के बारे में आप अवश्य सोचें । जिस परिस्थिति में जनता की या लोगों की यह दुष्प्रवृति बढ़ती जा रही है, उसमें जो हम लोग चित्रपट देखते हैं या पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट्स में महिलाओं के बुरे चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं, ऐसे चित्रपटों या एडवरटाइजमेंट्स पर पांबदी लगनी चाहिये । इसके लिये आप कोई नया कानून या नया बन्धन डालने की कोशिश करें इतनी प्रार्थना कर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति, महोदय, इस सदन के सामने श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो सुझाव रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं यहां पर खड़ी हुई हूं । इस चर्चा के बारे में मैं माननीय स्पीकर साहब को खास धन्यवाद देती हूं क्योंकि हम बहिनों ने जब इस बारे में पैटीशन सदन के सामने रखा था, तब हमें पता था कि इस पर यहां बहस नहीं हो सकती है। उसके बाद जब हमने उनसे यह प्रार्थना की कि महिला सुरक्षा का यह विषय बहुत महत्व का है, इस पर बहस होनी चाहिए, हमारे सदन के सारे माननीय सदस्य इसे विचारें । क्योंकि बाहर रास्ते में शहर-शहर में इस सवाल को लेकर महिलाओं ने एक आन्दोलन छेड़ रखा है। फिर मैं उनको धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारी मांगे पूरी करके सदन में कुछ घंटे इस विषय पर चर्चा करने के लिए देकर हमें एक मौका दिया है।

शुरू में मैं एक बात रखना चाहती हूं कि यह सवाल सच्चे मायने में किसी भी दल का सवाल नहीं है। यह पूरी स्त्री जाती का सवाल है, ह्युमैनिटी का जो आधा हिस्सा है, जिसे समझा जाता है बैटर हाफ, लेकिन जो बैटर हाफ आज वर्स्ट कन्डीशन में है, इसके बारे में मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहती हूं।

बहुत पुराने जमाने से, सदियों में अगर हम देखे तो किसी भी दो गुटों में, दो नेशन्ज में, दो राष्ट्रों में, दो कौमों में धर्म-युद्ध के नाते से अगर कुछ संघर्ष हो जाता है, तो उसमें महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम पुरुषों के लिए पुरुषार्थ का काम बन जाता है, यह बुरी बात है। हमें इसको बदलना चाहिए। यह पुराने जमाने से चलता आया है, हमें आज आजादी पाने के बाद 30, 35 साल हो गये, हम राजनीतिक दल एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे लेकिन स्त्री की सुरक्षा की व्यवस्था आज तक नहीं हुई। हम स्वयं इसे राजनीतिक सवाल बना कर उस पर दलीय रंग लगा देते हैं।

नारायण पुर में जो कुछ हुआ, उस कांड के लिए हम सबको दुःख हुआ था, लेकिन उसको हथियार बनाकर, बहाना बनाकर, अपनी राजनैतिक मनीषा पूर्ण करने के लिए हमारे देश की एक महिला ने, जो इस देश की पूरी बागडोर अपने हाथ में रखती हैं, अपना काम किया और उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग किया । इससे हमें बहुत दुख हुआ । मैंने उस समय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि एक महिला इस देश की प्रधान मंत्री है, उसे महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करना चाहिए। 11 साल तक सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस कांड को भी उन्होंने राजनैतिक खेल का हथियार बनाया ।

मथुरा नाम की लड़की की बात को लेकर जो आन्दोलन छेडा जा रहा है, वह मथुरा एक सिम्बल है हमारे देश की। मथुरा को 7 साल के बाद क्या इन्साफ मिलेगा, मुझे

पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से अगर हम इस देश की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी। मथुरा के दुखी मन को तसल्ली मिलेगी।

जैसे श्रीमती गीता मुखर्जी ने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे, मैं दो तीन मिसाल यहां कहना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश के बांदा में मैं खुद गई थी जहां उर्मिला नाम की एक गरीब परिवार की स्त्री के साथ उसके घर पर रात को दरोगा और दो कांस्टेबिलों ने उर्मिला के पति बाबूराम को जबरदस्ती बांध कर रखा और उसके छोटे-छोटे 3 और 5 साल के बच्चों के सामने बलात्कार किया। वह बेचारी महिला अपने पति को लेकर अपनी शिकायत करने पुलिस थाने गई। दरोगा और कांस्टेबल को सजा क्या हुई? मुझे पता लगा कि उनको सस्पेंशन किया गया, सिर्फ सस्पेंशन। जहां पुलिस इस प्रकार का गलत काम करे, जहां गुंडा कायदा अगर गुंडों के लिए है, तो वहां पुलिस अगर गलत काम करे तो वहां तुरत उसको कैद होनी चाहिए। पुलिस अगर गुंडा बन जाती है, गुंडे की तरह कार्यवाही करती है तो उसको तुरन्त कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है उनको सस्पेंड किया गया है, इन्वैस्टीगेशन हो रही है।

इसी तरह 25 तारीख को दिल्ली को बात है। 20 साल की मीरा नाम की हरिजन लड़की अपनी सुसराल से अपने पिता जी के घर जा रही थी, पता नहीं कहां क्या हो गया, बीच में कहां रही, 2,3 दिन के बाद एक व्यक्ति को मिल गई, और उसने उसको पुलिस कस्टडी में दे दिया। 2 दिन के बाद उसके पिता जी ने फिर खोज की तो पता चला कि पुलिस के पास रखा है, वहां गये तो पुलिस ने कहा कि हमें पता नही। जिस बीस साल की मीरा को सुरक्षा के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया, उसका क्या हुआ, यह पता नहीं है। इस बारे में मेरे पास बहुत से लोग आये थे। इस मोमेंट तक उस लड़की का कुछ भी पता नही है। मैं चाहती हूं कि अध्यक्ष महोदय इस बात की व्यवस्था करें कि इस लड़की का क्या हुआ है, इसकी सूचना कल तक इस सदन में दे दी जाये।

अगर इस देश की पुलिस महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो फिर उन्हें कौन सुरक्षा देने वाला है? हम बहनें महिलाओं की सुरक्षा के लिए आन्दोलन छेड़ रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए तैयार होंगे, लेकिन उस सदन के सदस्यों के हाथ में पूरे देश की बागडोर है, हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम यहां पर इण्डियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एमेंडमेंट करें जिससे हमें महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने में मदद मिले।

हम सब का अनुभव है कि पुलिस और गुंडों का हमेशा गठबंधन रहता है। पुलिस थाने में गुंडा इंस्पैक्टर के सामने बैठ कर चाय पीता है, वे बड़े मजे से आपस में बातें करते हैं। अगर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति वहां जाए, तो उसको कुर्सी तक नहीं दी जाती है। हां, अगर किसी के पास कार, रेडियो आदि हैं, तो शायद उसे कुर्सी मिल जायेगी। लेकिन सारी जनता जानती है कि गुंडों और पुलिस का गठबन्धन रहता है।

कहा जाता है कि चूंकि महिलाएं बहुत फैसन करती हैं, इसलिए रेप केसिज बढ़ रहे हैं। लेकिन बलात्कार किस पर होता है? बलात्कार होता है गरीब परिवार की महिलाओं पर, जिनके पास पाउडर लगाने की सुविधा नही है, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं, देखने के लिए आइना भी नही है-- कुछ भी नहीं है। यह कहना बिल्कुल झूठ बात है कि बहनें इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं, इसलिए बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। यह तो सिर्फ एक बहाना है।

हम देखते हैं कि जब कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाकर अपने ऊपर बलात्कार की शिकायत करती है, तो यह पता लगाया जाता है कि उसका पूर्व-चरित्र क्या है। आन्ध्र प्रदेश में सिकन्दराबाद में जब रमीजा बी पर बलात्कार हुआ, तो कहा गया कि वह तो प्रोस्टीट्यूट है, उसका तो यही धंधा था। मैं कहना चाहती हूं कि एक वेश्या पर भी बलात्कार करने का अधिकार किसी को नहीं

[श्रीमती प्रमिला दण्डवते]

है। वह स्वयं जो कुछ करना चाहती है, वह करे, लेकिन किसी को उस पर बलात्कार करने का अधिकार नहीं है। वह वेश्या है, अगर इस आधार पर पुलिस ने गलत काम किया, तो उसको उतनी ही सजा दी जानी चाहिए, जितनी कि एक अच्छे घर की स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करने पर दी जाती है। इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि कोई किसी स्त्री के साथ बलात्कार करे और उसको वेश्या बता कर छूट जाए। इसलिए जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ हो उसका पूर्व चरित्र नहीं पूछना चाहिए। उस आधार पर बलात्कार को संभोग साबित नहीं करना चाहिए।

स्त्री की इज्जत हमारे राष्ट्र की इज्जत है। स्त्री की इज्जत हमारे देश के स्वाभिमान का प्रश्न है। लेकिन हमारे देश मे दिन-ब-दिन जो बातें हो रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। पिछले हफ्ते श्री महालगी के यहां एक सवाल पूछा था कि मथुरा के केस को ध्यान मे रखते हुए क्या सरकार इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ संशोधन करने वाली है। मथुरा केस को लेकर हमारे देश में आंदोलन चल रहा है, पेटिशन दिये गये हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कानून मंत्री ने जवाब दिया कि ऐसा कोई विचार नहीं है। यह बहुत बुरी बात है। शायद पिछले हफ्ते तक उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उन्हें यह संशोधन करना चाहिए और इस देश की महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए। बलात्कार और अनुमति की परिभाषा बदलनी चाहिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिव शंकर): मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला ला कमिशन को रेफर कर दिया गया है।

श्रीमति प्रमिला दंडवते: यह खुशी की बात है। हमने मांग की है कि मथुरा केस का रीव्यु किया जाए। नेशनल फेडरेशन आफ विमेन, महिला दक्षता समिति, आल-इंडिया विमेन्ज फेडरेशन आदि बहुत से स्त्री-संगठनों ने रीव्यू के लिए पेटीशन दिया है। हमने इसके लिए बम्बई के गवर्नर से प्रार्थना की है। महाराष्ट्र में भी आपका शासन है। अगर आप यह आश्वासन दें कि रीव्यू के लिए एप्लाई किया है, तो हमें खुशी होगी कि आप इस बारे में कुछ न कुछ कर रहे हैं।

मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि पुलिस के शासन मे राजनैतिक दलों की ओर से, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी ओर से इंटरफेयरेंस किया जाता है, ऐसी बहुत बड़ी शिकायत है। 9 अगस्त 1974 को बम्बई से यहां यूथ कांग्रेस की रैली के लिए लोग आये थे, उस समय जो बातें हुई थीं उस के ऊपर 14 अगस्त 1974 को यहां पर बहस हुई है। उस बहस में इस पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसलिए उसके बारे में मैं अब फिर नही कहना चाहती। लेकिन उड़ीसा में नारायण मंदिर के पास जो महिला छात्राएं गई थीं उनके साथ छेड़खानी करने का काम भी यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया। यह मैं यूथ कांग्रेस के लिए ही नहीं बोल रही हूं। मैं यह कहती हूं कि राजनैतिक दल में काम करने वाले नवयुवकों को गलत काम नहीं करना चाहिए। उनका काम है कि एक अलग प्रकार की नई दुनियां बनायें जहां महिलायें और दुर्बल सुरक्षित रहें।

परसों आसाम के बारे में जब यहां बहस चल रही थी तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता था कि आसाम का ब्लाकेड हो जाए लेकिन क्या करें, हम नौजवानों को रोक नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की भाषा कम से कम हमारी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में इस्तेमाल न की जाए और कहा जाए कि क्या करें नौजवान हैं, इस काम को हम रोक नहीं सकते।

इंडियन पीनल कोड क्रिमीनल प्रोसीजर कोड और एवीडेंस एक्ट में संशोधन करने के बारे मे और अन्य जो सुझाव गीता मुखर्जी ने रखे हैं उनका मैं पूरा समर्थन करती हूं। पीनल कोड धारा 160 (1) के अनुसार किसी भी स्त्री को इंटैरोगेशन के लिए पुलिस थाने पर बुलाने पर प्रतिबंध है। स्त्री के घर पर जाकर ही पुलिस सवाल पूछ सकती है। और जिस समय महिलाओं को पुलिस कस्टडी में

या लाक अप में रखा जाता है तब निगरानी रखने के लिए महिला पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहती हूं जो मेरा अनुभव है। एमर्जेंसी में इंदिरा सरकार की मेहरबानी से मैं जेल में 18 महीने थी। उस वक्त मुझे कन्विक्ट्स के साथ रहने का मौका मिला था। उस समय कई बहनों ने जो शिकायत की थी उस में से एक शिकायत यह है कि पुलिस कस्टडी में जब ये बहनें होती हैं तो रात को दरवाजा खुलता है, किसी एक स्त्री को वहां से ले जाते हैं और उसके साथ एक बहुत गलत प्रकार का काम पुलिस स्टेशन में होता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि पुलिस कस्टडी जहां जहां होती है वहां महिला पुलिस की ही जरूरत है। महिला पुलिस ही वहां पर रहनी चाहिए। इस प्रकार का गलत काम करने के लिए पुलिस को मौका नहीं देना चाहिए।

आखिरी बात यह है कि पुलिस इंसान है, यह मैं समझती हूं। पुलिस की भी कुछ दिक्कतें हैं। मुझे यह पता है कि दिल्ली में जो पुलिस है उसमें से 80 प्रतिशत के रहने के लिए स्थान नहीं है। उनका परिवार उनके साथ नहीं रह सकता, इसलिए शायद वह कुछ गलत काम करते होंगे। लेकिन अगर पुलिस इंसान है तो उसको पशु से भी ज्यादा पशु होने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अधिक है।

बाकी सारे जो हमारे सुझाव हैं, जो गीता मुखर्जी ने रखे हैं और जो अमेंडमेंट कानून करने की बात कही गई है उसको मैं दोहराती नहीं हूं। लेकिन एक बात आप जरूर करिए, नेशनल लेबल से लेकर ताल्लुका लेबल तक महिलाओं की और समाज की सुरक्षा करने वाले लोगों की एक कमेटी बन जाय ऊपर से नीचे तक जहां पर महिलाएं शिकायत दे सकें और जो भी केसेज हों उनकी खोज करने के लिए कानूनी अधिकार उनको रहे। इतना आप काम करें तो अच्छा होगा। बाकी जो सुझाव आए हैं उनका मैं पूरा-पूरा समर्थन करती हूं।

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Suseela Gopalan.

SHRI MAGANBHAI BAROT (Ahmedabad): Sir, is it going to be the privilege of only lady Members to participate in this discussion?

MR. CHAIRMAN: It will be taken up tomorrow when you will get an opportunity.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Alleppey): Sir, I am happy that, though at this late hour, it has been brought to the notice of the House. The atrocities on women are increasing day by day and every day we are reading in the papers and hearing so much on this subject. Yet, for the last 32 years those who were ruling the country did not consider it a serious thing to be taken note of.

MR. CHAIRMAN: She may continue her speech tomorrow.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 28, 1980/*Chaitra* 8, 1902 (*Saka*).

GMGIPND—13 LS—9-5-80—890